क्र. 8573/T.L./2020
दि. 13-8-2020

①

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

टी0एल0 समीक्षा बैठक दिनांक 10/08/2020 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 10 अगस्त 2020 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की वीडियों कान्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश पालन की कार्यवाही हेतु दिये गये :-

1- सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी एवं किसानों को भुगतान राशि के संबंध में समीक्षा की गई ।

अ- गेहूँ किसानों के विफल भुगतान की शेष राशि रू0 3581608/- का शीघ्र भुगतान महाप्रबंधक, केन्द्रीय सह0मर्या0 बैंक एवं जिला प्रबंधक (नॉन) समन्वय कर पूर्ण भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करे ।

ब- बैंक वसूली लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति कराये जाने हेतु महाप्रबंधक, सहकारी मर्या0 बैंक को निर्देशित किया गया ।

स- डिजिटल भुगतान के लिए ई-भुगतान की लंबित राशि रू0 1874255/- का शीघ्र भुगतान कराया जावे ।

(कार्यवाही-महाप्रबंधक, केन्द्रीय सह0मर्या0 बैंक, उपायुक्त सहकारिता, नॉन)

2- आधार सीडिंग की समीक्षा दौरान सर्वप्रथम राशन न लेने वाले सदस्यों का वेरिफिकेशन कराते हुए हटाये जाने वाले एवं जोड़ने वाले नामों की जानकारी ली गई एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को नाम जोड़े जाने एवं हटाये जाने वालें सदस्यों की सूची जिला स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी खाध्य विभाग को भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को आधार सीडिंग की समीक्षा दौरान अवगत कराया गया कि आधार सीडिंग का कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण किया जाना था, समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की आधार सीडिंग में धीमी गति होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा आधार सीडिंग में तत्परता से कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये । आधार सीडिंग में धीमी गति से कार्य होने पर एवं कार्य में लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्य में गोपनीय चरित्रावली में पृविष्टि की जावेगी ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, राजगढ़ द्वारा आधार सीडिंग में धीमी गति होने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जावे ।

(कार्यवाही-डी0एस0ओ0 समस्त एस0डी0एम0, समस्त सीईओ, जनपद पंचायत, समस्त सी0एम0ओ0 एवं प्रभारी अधि0 स्था0)
(कार्यवाही- प्रभारी अधिकारी स्था0 शाखा)

3- जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के सेम्पलिंग का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है एवं अभी तक जिले में बहुत कम सेम्पलिंग की गई है जबकि जिले में प्रतिदिन 300 सेम्पलिंग का लक्ष्य निर्धारित है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे ब्लॉक मेडिकल स्तर पर प्रतिदिन 50 सेम्पलिंग लेवें एवं सेम्पलिंग में तीव्र गति से कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये ।

समस्त बी0एम0ओ0 द्वारा सेम्पलिंग कार्य में धीमी गति होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये ।

जो व्यक्ति सर्दी, जुखाम एवं बुखार की दवा ले रहे है उनकी सूची/जानकारी से अवगत कराने हेतु श्री रजक, ड्रग इंस्पेक्टर को पूर्व में निर्देश दिये गये थे परन्तु ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जानकारी से अवगत न कराये जाने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जावें एवं जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर से सर्दी, जुखाम एवं बुखार की दवा ले रहे है उनकी सूची/जानकारी संबंधित फार्मेसिस्ट द्वारा न दिये जाने पर उक्त फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करावें ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोविड केयर सेंटर में 100 बेड उपलब्ध होने की जानकारी दी गई । इस हेतु सीएमएचओ को शीघ्र 150 बेड उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यह सुनिश्चित करे कि संदिग्धों को संस्थागत क्वारंटाईन में भेजा जावे । प्रत्येक अनुभाग में कम से कम 30-30 लोगों को संस्थागत में भेजा जावें एवं जो व्यक्ति होम क्वारंटाईन का पालन नही कर रहे है ऐसे लोगों को संस्थागत केन्द्रों भेजा जाना सुनिश्चित किया जावें ।

(कार्यवाही-सीएमएचओ, समस्त एस0डी0एम0, तहसीलदार, प्र0अ0 स्था0शाखा)

4- पुराने वनाधिकार पट्टों के पुर्नःपरीक्षण की कार्यवाही पर समीक्षा की गई । समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शीघ्र मान्य दावें भेजे एवं अपीलो के आवेदन भी शीघ्र भेजे जाने हेतु निर्देश दिये गये जिससे कि उक्त प्रकरणों को निराकृत किया जा सके ।

(कार्यवाही- डी0ओ0 आ0जाति0क0 एवं समस्त एसडीएम/समस्त ज0प0)

क्र. 8573/T-L/2020
दि. 13-8-2020

5– 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में समस्त अधिकारी शासन के प्राप्त पत्र दिनांक 04 अगस्त 2020 का अवलोकन कर इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के कारण कार्यक्रमों की रूपरेखा अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–प्रभारी अधिकारी एससी–2 शाखा एवं समस्त अधिकारी)

6– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार एवं नगरपालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के कारण रामदेव मेले के स्थगित होने की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–समस्त एसडीएम/तहसीलदार/सीईओ जनपद,सी0एम0ओ0)

7– पी0एम0 स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर्स के प्रकरणों की समीक्षा की गई । जिला परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पी0एम0 स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर्स के 7137 लक्ष्य होने, 1757 प्रकरण ऑनलाईन बैंकों में प्रेषित् किये गये है तथा 848 प्रकरण ऑनलाईन स्वीकृत किये गये है ।

बैंकों में प्रेषित प्रकरण 1757 बैंक शाखा द्वारा निराकृत किया जावें । वर्तमान में बैंकों द्वारा मात्र 197 प्रकरणों के वितरण की कार्यवाही की गई है जो कि बहुत कम होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य को तीव्र गति से करने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–एलडीएम, पी0ओ0 डूडा एवं समस्त नगरपालिका अधि0)

8– पेशी से उतरे प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई । समस्त राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने स्तर पर कोई भी प्रकरण पेशी से न उतरे । पेशी से उतरे प्रकरण पुनः पेशी पर लिये जावें ।

समीक्षा दौरान पाया गया कि जिले में कुल 1339 प्रकरण पेशी से उतरे हुए है । जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के 64 प्रकरण, तहसील राजगढ़ 159, तहसीलदार खिलचीपुर 326, तहसीलदार जीरापुर 97, तहसीलदार पचोर 192, नायब तहसीलदार राजगढ़ 50, नायब तहसीलदार मलावर 87, नायब तहसीलदार संडावता 103, नायब तहसीलदार पचोर 83 प्रकरण पेशी से उतरे हुए है जिन्हें शीघ्र पेशी पर लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

जिले में वर्तमान में रीडर स्तर 1066 एवं पी0ओ0 स्तर पर 725 प्रकरण लंबित है । जिनमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर के 196 प्रकरण, तहसीलदार जीरापुर 173, नायब तह0 सुठालिया 85, नायब तह0 सारंगपुर 75 प्रकरण रीडर स्तर पर लंबित है एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगपुर के 83 प्रकरण, तहसीलदार खिलचीपुर 113, नायब तह0 छापीहेड़ा 93 प्रकरण पी0ओ0 स्तर पर लंबित है । अतः समस्त राजस्व अधिकारी उक्त प्रकरणों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही– समस्त राजस्व अधिकारी)

9–सी0एम0हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षाः–

सी0एम0 हेल्पलाईन प्रकरणों में वर्तमान में जिले में लेवल–4 पर कुल प्राप्त 2364 शिकायतें लंबित है । अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित जाता है कि अपने विभागान्तर्गत एल–4 स्तर के लंबित प्रकरणों का आगामी टी0एल0 बैठक के पूर्व निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

वर्तमान में लोक स्वास्थ्य विभाग की 189, कृषि विकास विभाग 153, फसल बीमा–कृषि कल्याण विभाग की 287, खाद्य आपूर्ति विभाग की 157, राजस्व विभाग 209, मनरेगा 69, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 94, कृषि उपज मण्डी 51, जय किसान फसल ऋण माफी 77, राज्य शिक्षा केन्द्र 88, प्रधानमंत्री आवास योजना 101, लीड बैंक 90, संस्थागत वित्त 113 एवं पंचायती राज की 72 शिकायतें लेवल–4 पर लंबित हैं जिनका शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जावें साथ ही समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व प्रकरणों की 50 प्रतिशत् शिकायतों का निराकरण आगामी टी0एल0 बैठक के पूर्व निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी)

<u>10–आरसीएमएस एवं अन्य पोर्टल की समय सीमा बाह्य के प्रकरणों की समीक्षाः–</u>

आरसीएमएस एवं अन्य पोर्टल की समय सीमा बाह्य के प्रकरणों की समीक्षा दौरान अविवादित नामान्तरण के कुल 71 प्रकरण एवं भूमि के सीमांकन संबंधी कुल 59 प्रकरण लंबित है । जिसमें राजस्व न्यायालय सारंगपुर के 11, पचोर के 13, खिलचीपुर के 50, राजगढ़ के 24 प्रकरण अधिक मात्रा में लंबित है जिनका निराकरण शीघ्र किया जावें ।

(कार्यवाही–समस्त राजस्व अधिकारी)

क्रं.8573/T.L./2020
दि.13-8-2020

11– समय–सीमा (टी0एल0) में लंबित पत्रों की समीक्षा:–

समस्त अधिकारियों से टी0एल0 पत्रों की समीक्षा की गई । वर्तमान में जिले में कुल 188 टी0एल0 प्रकरण लंबित हैं। जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि0 की 10, केन्द्रीय सह0 बैंक 08, अनुविभागीय अधि0 खिलचीपुर 23, अनु0अधि0 ब्यावरा 08 प्रकरण लंबित है जिनका शीघ्र निराकरण किया जावें ।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित अधिकारी)

12– सी0एम0 मॉनिट में लंबित पत्रों की समीक्षा:–

समस्त अधिकारियों को सी0एम0 मॉनिट के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रकरणों को समय–सीमा में निराकृत कर दिया जावें जिससे कि सी0एम0 मॉनिट स्तर पर प्रकरण न आ सके ।

वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के 03, स्वास्थ्य विभाग 04, अनुविभागीय अधि0 नरसिंहगढ 03, अनुविभागीय अधि0 खिलचीपुर 02 प्रकरण, महिला बाल विकास विभाग 01 प्रकरण सी0एम0 मॉनिट स्तर पर लंबित है जिनका तत्काल निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

जिला कार्यक्रम एवं महिला बाल विकास अधिकारी बिना सूचना के टी0एल0 बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जावें ।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित अधिकारी एवं प्र0अधि0 स्था0 शाखा)

13– जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा:–

समस्त अधिकारी पूर्व में प्राप्त जनसुनवाई के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें । वर्तमान में अनुविभागीय अधि0 राजगढ़ के 09, परियोजना अधि0 शहरी विकास अभि0 07, केन्द्रीय सहकारी बैंक 13, मत्स्य विभाग 06, तहसीलदार राजगढ 43, अनुविभागीय अधि0 खिलचीपुर 20, तहसीलदार खिलचीपुर 12, तहसीलदार पचोर 13, जनपद पंचायत ब्यावरा 41, जनपद पंचायत खिलचीपुर 21, नगरपालिका ब्यावरा 12, नगरपालिका राजगढ 10, जल संसाधन मोहनपुरा 44, तहसीलदार छापीहेड़ा 21, नायब तहसीलदार भोजपुर 15, नायब तहसीलदार कालीपीठ के 12 प्रकरण जनसुनवाई में लंबित है । जनसुनवाई प्रकरणों में विभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों का निराकरण न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी)

14– टी0एल0 में प्राप्त पत्रों की समीक्षा:–

1– आवेदक ओम प्रकाश नागर द्वारा आयुष चिकित्सक भर्ती में अनियमितता करने संबंधी शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त पत्र की जॉच कर आगामी टी0एल0 के पूर्व जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही–सीएमएचओ राजगढ)

2– आवेदक हेमराज एवं अन्य द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर सेल्समेन नारायण सिंह द्वारा 03 माह से खाद्यान्न नहीं मिलने संबंधी पत्र की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–डीएसओ राजगढ़)

3– गोरखपुरा तालाब में भूमि डूब में जाने के बाद मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग, राजगढ़ जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही–ईई डब्ल्यू आरडी राजगढ)

4– पूर्व संचालक लोक सेवा केन्द्र ब्यावरा,राजगढ़,खिलचीपुर द्वारा माह अप्रैल, मई, जून 2019 में लोक सेवा केन्द्र के व्ही0जी0एफ0 राशि एवं डिपोजिट राशि के संबंध में कार्यवाही कर प्रतिवेदन से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–डीएम लोक सेवा)

5– अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) नरसिंहगढ़ को तिरूपति वेयर हाउस कुरावर के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–एसडीएम नरसिंहगढ)

6– आवेदक नारायणसिंह एवं अन्य, हिरनखेड़ी द्वारा खाद्यान्न पर्ची का विगत 05 माह का खाद्यान्न सेल्समेन द्वारा वितरण नहीं करने एवं परेशान करने संबंधी शिकायत की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

(कार्यवाही–डीएसओ राजगढ़)

7– उप महानिरीक्षक, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0बल के प्राप्त पत्र आवेदक प्रणीता सिंह द्वारा दिये गये आवेदन जिसमें श्री समंदरसिंह, ग्राम टीकरिया द्वारा अवैध कब्जा करने संबंधी पत्र पर कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये ।

(कार्यवाही–तहसीलदार पचोर)

क्र. 8573/T.L/2020
(9.13-8-2020

8– परियोजना निदेशक के प्राप्त पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के चैनेज कमांक 184 से 191 फुंदा मार्केट ब्यावरा में अनाधिकृत अतिकमण को हटाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही कर प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

(कार्यवाही–एस0डी0एम0 ब्यावरा)

9– आवेदक कृष्णपाल सिंह निवासी घाटाखेड़ी, तह0 सारंगपुर द्वारा खाते की भूमि से सोसायटी प्रबंधक प्रभारी जीतमल दांगी संडावता के द्वारा 78516/–रू0 की खाद फर्जी रूप से निकालने संबंधी पत्र पर जॉच कर जॉच प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

(कार्यवाही–उपायुक्त, सहकारिता विभाग)

10– आवेदक मुकेश कुमार द्वारा सेवारत सैनिक और परिवार को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त पत्र पर कार्यवाही कर प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

(कार्यवाही–तहसीलदार ब्यावरा)

15– शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्र :–

समस्त विभागीय अधिकारियों से शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों की जानकारी लेने पर किसी भी अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण पत्र से अवगत नहीं कराया गया ।

16–अंर्तविभागीय समन्वय के बिन्दु:–

1– उपसंचालक, कृषि द्वारा प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के पत्र जय किसान फसल ऋण माफी योजना की की गई क्रेडिट एन्ट्री बहुत कम है, के संबंध में जानकारी दी गई । उक्त कार्य महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी मर्या0 बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–डीडीए, जी0एम0 सीसीबी एवं एलडीएम)

2– जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा के प्राप्त पत्र से अवगत कराया गया जिसमें ग्रामों में मनरेगा के माध्यम से शालाओं के मैदानों का समतलीकरण, एप्रोचरोड़, वृक्षारोपण, बाउण्ड्रीवाल एवं फैंसिंग का कार्य कराया जाना है जिसकी सूची जिला पंचायत कार्यालय में प्रेषित कर दी गई है । अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूची अनुसार उक्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें ।

**(कार्यवाही–सीईओ जिला पंचायत/
समस्त सीईओ जनपद पंचायत एवं डीईओ राजगढ़)**

3– उपसंचालक पशु चिकित्सा से दुग्ध संग्रह की जानकारी ली गई तथा एनआरएलएम के सहयोग से कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये । बार–बार निर्देश देने के उपरान्त भी दुग्ध संग्रह बहुत ही कम किया जा रहा है । दुग्ध संग्रह कम होने के कारण दुग्ध संघ अधिकारी श्री प्रसून सिंह को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जावें तथा निर्देशित किया जाता है कि उपसंचालक पशु चिकित्सा एवं दुग्ध संघ अधिकारी प्रतिदिन दुग्ध संग्रह की जानकारी से अवगत करायेंगे ।

(कार्यवाही–उप संचालक पशु चिकित्सा, दुग्ध संघ अधि0 एवं प्र0अधि0 स्था0 शाखा)

4– उप संचालक, कृषि द्वारा सी0एम0सी0एस0 मॉनिट के प्रकरणों को महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी मर्या0 बैंक एवं प्रबंधक, जिला अग्रणी द्वारा निराकरण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया । अतः उक्त अधिकारी सी0एम0सी0एस0 मॉनिट के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–उप संचालक कृषि, जीएम सीसीबी एवं एलडीएम)

5– श्रम निरीक्षक द्वारा जनकल्याण संबल योजनान्तर्गत आवेदिका श्रीमती कृष्णाबाई, सारंगपुर के बैंक खाता नं0 स्वीकृति उपरान्त जारी ई0पी0ओ0 में खाता नम्बर संशोधन हेतु अवगत कराया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सारंगपुर उक्त प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन से अवगत करावें ।

(कार्यवाही–श्रम निरीक्षक एवं सीईओ ज0पं0 सारंगपुर)

6– जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अवगत कराया गया कि सत्र 2020–21 में गणवेश वितरण का कार्य शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के स्वसहायता समूह एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किये जाने के निर्देश थे, के संबंध में परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण द्वारा समय पर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दी गई । अतः जिला परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण (डूडा) कार्यवाही कर अवगत करावें ।

अंत में धन्यवाद उपरान्त बैठक समापन की गई ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.

(5)

क्र. 8573/T.L./2020
दि. 13-8-2020

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

कमांक 8573 टीएल/20 राजगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2020

13-8-20

प्रतिलिपि:

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़।
2– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़।
3– संयुक्त कलेक्टर, जिला राजगढ़।
4– डिप्टी कलेक्टर, ... जिला राजगढ़।
5– सर्व जिलाधिकारी..जिला राजगढ
6– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).................................. जिला राजगढ़।
7– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..................................जिला राजगढ।
8– समस्त तहसीलदार..................................जिला राजगढ।
9– समस्त नगरपालिका..................................जिला राजगढ।
10– अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय, जिला राजगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.